बिहार सरकार

<u>जल संसाधन विभाग</u>

पत्र संख्या–सि0को0–197/2010–522 /पटना, दिनांक–24.07.15

FAX

प्रेषक,

दीपक कुमार सिंह,
सचिव ।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता(यॉत्रिक सहित)
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना ।
निदेशक, कय, परिवहन एवं सामग्री प्रबंधन,
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना ।

विषयः–ई–टेन्डरिंग के माध्यम से आमंत्रित निविदाओं के तहत बेल्ट्रॉन सेवा–शुल्क की बकाया राशि के भुगतान के संबंध में ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक विभागीय पत्रांक–317 दिनांक–09.06.2014 द्वारा ई–टेन्डरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रण के कम में जल संसाधन विभाग के विभिन्न प्रमण्डलों/कार्यालयों द्वारा संवेदकों से प्राप्त परिमाण विपत्रों के मूल्य (बेल्ट्रॉन के सेवा–शुल्क सहित) के लोक लेखा शीर्ष **K-8782-00-102-0001** के अन्तर्गत जमा की गई राशि की लोक लेखा व्यय शीर्ष **L-8782-00-102-0001** से निकासी कर सेवा शुल्क के रूप में बेल्ट्रॉन को भुगतान करने की स्वीकृति का आदेश देते हुए भुगतान की प्रकिया का भी विस्तार से उल्लेख किया गया था ।

पुनः विभागीय पत्रांक–353 दिनांक–14.05.2015 द्वारा स्मारित करते हुए अधीनस्थ कार्यपालक अभियंताओं को अभियान चलाकर बेल्ट्रॉन के बकाया राशि के भुगतान हेतु निदेशित करने हेतु अनुरोध किया गया था । बेल्ट्रॉन द्वारा बकाया राशि के भुगतान हेतु बराबर अनुरोध किया जा रहा है किन्तु अब तक विभिन्न प्रमण्डलों द्वारा बेल्ट्रॉन सेवा शुल्क की बकाया राशि के भुगतान की स्थिति नगण्य है ।

अतः उपरोक्त के आलोक में निदेशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ सम्बन्धित कार्यपालक अभियंताओं को सख्त निदेश देकर बेल्ट्रॉन सेवा–शुल्क की बकाया राशि का भुगतान सुनिश्चि.त कराया जाय ।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय । नोडल पदाधिकारियों की अगली बैठक में इसके अनुपालन की समीक्षा की जायेगी ।

विश्वासभाजन

24/7/15

(दीपक कुमार सिंह)
सचिव